भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 773223

(1)

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

माँ विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट

यह ट्रस्ट (न्यास) को आज दिनांक 21/01/2014 को मैं संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री त्रिपुरारी मिश्र निवासी ग्राम– खरैला पो0 सरायपल्टू तह0 लालगंज जिला–आजमगढ़, द्वारा बनाया जा रहा है । जिसमें मैं सन्तोष कुमार मिश्र इस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) का प्रथम पक्ष या संस्थापक/मुख्य न्यासी हूँ। जिसे इस ट्रस्ट का अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) कहा जायेगा। और ट्रस्ट के कार्यो को सुगम ढंग से संचालित करने के लिए मैं मुख्य न्यासी/प्रबन्धक द्वारा अन्य सदस्यों को नामित किया जा रहा है, जो निम्नलिखित है–

1. रविन्द्र कुमार मिश्र पुत्र श्री गनेश मिश्र निवासी ग्राम– खरैला पो0 सरायपल्टू तह0 लालगंज जिला– आजमगढ उ0प्र0 ।
2. अनीता देवी पत्नी संतोष कुमार मिश्र निवासी ग्राम–उपरोक्त
3. प्रमोद कुमार मिश्र पुत्र श्री त्रिपुरारी मिश्र निवासी ग्राम–उपरोक्त
4. आदर्श कुमार मिश्र उर्फ विष्णु पुत्र संतोष कुमार मिश्र निवासी ग्राम–उपरोक्त

जिन्हे ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) का द्वितीय पक्ष या सदस्य न्यासी (ट्रस्टीज) कहा गया है। हम संतोष कुमार मिश्र (मुख्य न्यासी) और उपरोक्त नामित सदस्यों को मिलाकर गठित संगठन को न्यास मण्डल कहा जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645908

(2)

शपथ

यह कि मै संतोष कुमार मिश्र पुत्र त्रिपुरारी मिश्र ग्राम–खरैला, पोस्ट–सरायपल्टू ,तह0 लालगंज जिला–आजमगढ के स्थायी निवासी हूँ। मैं मुख्य न्यासी (प्रबन्धक) इस ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना आज दिनांक 21/01/2014 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत निम्न प्रकार ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु कर रहा हूँ।

यह कि इस ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय जन जागृति का कार्य करना तथा शिक्षा के विकास हेतु विशेष कार्यों जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना है। हम मुख्य न्यासी/प्रबन्धक इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्य रूप में लाने के लिए यह धर्मार्थ/शैक्षिक ट्रस्ट का विलेख अपने स्वस्थ मन–मस्तिष्क व शुध्द विचार से आज दिनांक 21/01/2014 को निष्पादित कर रहा हूँ। जो प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

यह कि इस ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना हेतु ट्रस्ट के संस्थापक मैं, सन्तोष कुमार मिश्र (प्रबन्धक/मुख्य न्यासी) द्वारा 5151.00 (पाँच हजार एक सौ इक्यावन रू0) मात्र का योगदान व संकल्प किया गया है। और भविष्य में इसके न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करतें रहेंगे ।

यह कि ट्रस्ट के डीड (विलेख) मे उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीज द्वारा, दान, अनुदान, चंदा आदि का प्रबन्धन किया जायेगां। जिसे ट्रस्ट का कोष या सम्पत्ति समझा जायेगा।

यह कि मैं अपनें ईष्ट देवी माँ विन्ध्यवासिनी और अपनी माता सुमित्रा देवी के संयुक्त नाम से इस ट्रस्ट का नामकरण कर रहा हूँ जिसे माँ विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा, जिसकी रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम–खरैला, पो0–सरायपल्टू ,जिला–आजमगढ मे स्थापित हुई है। ट्रस्टीज को यह अधिकार है कि भविष्य में आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नाम व कार्यालय के स्थान परिवर्तन का निर्णय कर सकतें है। यदि वे ऐसा अपने सुविधानुसार चाहें तों।

सन्तोष कुमार मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

उप कोषागार लालगंज

17 DEC 2013

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645907

1. ट्रस्ट का नाम व पता – यह ट्रस्ट (न्यास) माँ विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा, जिसकी वर्तमान कार्यालय, ग्राम–खरैला, पो0–सरायपल्टू ,जिला–आजमगढ मे स्थापित होगी।
2. कार्य क्षेत्र– ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में होगा।
3. ट्रस्ट (न्यास) के उद्‌देश्य निम्नलिखित है–
    1. यह कि कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक–बालिका, विद्यालयों ,महाविद्यालयो की स्थापना एवं संचालन करना तथा इस कार्य हेतु अनुदान लेंना . भूमि व भवन के लिए धन संग्रह करना अथवा उसका उपयोग करना। तथा स्कूलो, कालेजों के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको में स्कूलों, कालेजों के नाम से खाता खोलना व संचालित करना।
    2. यह कि कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों, आनावासीय विद्यालयों, कान्वेंण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, हिन्दी अंग्रेजी व उर्दू माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, तकनिकी विद्यालयों, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों तथा कृषि शिक्षा विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
    3. यह कि गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बाल श्रमिक,दलित, विकलांगों,मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकलांग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करनें का प्रयास करना तथा उनके लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं छात्रावासो की व्यवस्था करना।
    4. यह कि निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रिड़ा स्थलों, छात्रावासों, आनाथालयों, वृघ्दाश्रमों, विधवा नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना व संचालन करना।

सतोष कुमार मिश्रा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645906

5. यह कि पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन या वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राइवेट व खाली पड़ी जमीनपर आर्थिक महत्व वाले पौधे व पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित वृक्षारोपण करना।
6. यह कि कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, तकनिकी, शिल्प कला, हस्त शिल्प कला, काष्ठ कला, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपिक, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटिग जरीकढाई, चिकन कढाई, कालिन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य, वाद्य कला, नृत्य आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
7. यह कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर शिक्षा विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
8. यह कि बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित–प्रशिक्षित कर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना तथा उनके अन्दर देश भक्ति व राष्ट्रहित की भावना जागृत करना।
9. यह कि बालक/बालिकाओं, कलाकारो के शारीरिक, बौद्धिक , मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय–समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोंजन व संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओं, एवं कलाकारों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।
10. यह कि समाज मे व्याप्त कुरीतियों जैसे– दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, नशा, शराब, गाँजा, अफीम, भाँग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु समय–समय पर जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन केन्द्रों आदि की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
11. यह कि दैवीय आपदा यथा बाढ ,सुखा, भूकम्प, महामारी , ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ित लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन , दवा – इलाज ,आवास , वस्त्र आदि प्रदान करनें का प्रयास करना तथा इस कार्य हेतु अनुदान व चन्दा एकत्रित कर हर सम्भव मदद करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) AP 645904

12.यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान, चन्दा, जमीन पट्टा व रजिस्ट्री कराना एवं धनराशि की व्यवस्था किसी व्यक्ति, समाज व सरकार से करना तथा चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा संचालित स्कूलों–कॉलेजो के लिये अनुदान, लोंन, दान आदि को प्राप्त करना, मॉंग करना व प्रस्तावित करना ।

13.यह कि कृषि विकास मे सहयोगी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि व्यवसाय की सलाह देंना व संचालित कराना तथा व्यवसाईयों को इसके निमित्त प्रशिक्षण देना तथा कृषि कार्य हेतु भूमि खरिदना एवं अन्न उत्पादन करना।

14.यह कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए० की समस्त योजनाओं को जनहित मे संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार जनों के कल्याण के लिये कार्य करना ।

15.यह कि कस्तूरबा गॉंधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा मिड–डे–मिल योजनाओं का क्रियान्यवयन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

16. यह कि समयानुसार बी०एड०, एम०एड०, सी०पी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, डी०एल०एड०, आई०टी०आई०, पालीटेक्निक, महिला आई०टी०आई०, एल०एल०बी० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों एवं डिग्री कॉंलेजो,महिला डिग्री कॉलेजो, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कालेजों, फार्मेसी कालेजों, नर्सीग कालेज, व यू०पी० बोर्ड, सी०बी०एस०ई० बोर्ड, सी०आई०एस०ई० बोर्ड, आई०सी०एस०सी बोर्ड आदि द्वारा संचालित स्कूलों/कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना तथा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना । एन०सी०ई०आर०टी०, के पाठ्यचर्या के अनुसार संचालित पुस्तकों को शिक्षाण संस्थाओ में संचालित करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

FIFTY RUPEES Rs.50

17 DEC 2013

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645905

17. यह कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ , डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, अवार्ड, कपार्ट, नवार्ड, नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा, डी0आर0डी0ए0, आई0आर0डी0पी0, एस0जे0आर0वाई0, एस0जे0एस0वाई0, जे0आर0वाई0, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजलधारा, सिप्सा,मनरेगा,आदि योजनाओं को जनहित मे क्रियान्वित करना।

18. यह कि बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना तथा उन्हे शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हे रोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

19. यह कि ट्रस्ट द्वारा संस्थाओ की स्थापना व संचालन हेतु भूमि क्रेय करना एवं भवन निर्माण करना। यदि किसी कारण वश भविष्य में उस भूमि पर संस्थाओं के संचालन व स्थापना में कोई भी व्यवधान होता है तो उस भूमि को ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य मे उपयोग करना एवं अवश्यकतानुसार विक्रेय करना तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों को करना एवं वृक्षारोपण कराना।

20. यह कि ट्रस्ट द्वारा समाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, एवं सांस्कृतिक कार्य करना एवं ट्रस्ट की भूमि पर धर्मशाला, मठ, मंदिर इत्यादि का समयानुसार निर्माण करना तथा संस्थाओं के अतिरिक्त कृषि हेतु भूमि क्रय करना एवं अन्न उत्पादन करना ।

21. यह कि सरकारी तथा गैर सरकारी, लोगों, संस्थाओं, कम्पनी निजी तन्त्रों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमे विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्राण्ट, गिफ्ट, चल व अचल सम्पत्ति शामिल है। तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी व गैर सरकारी बैंकों से ट्रस्ट के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

22. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य के पूर्ति हेतु ट्रस्ट के प्रबन्धक/मुख्य न्यासी द्वारा ट्रस्ट के चल–अचल सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग करना।

198

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

उप कोषागार लालगंज

17 DEC 2013

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645903

4. यह कि ट्रस्ट (न्यास) के निम्नलिखित पाँच पदाधिकारी (ट्रस्टीज) होंगे जिनका नाम, पिता/पति का नाम, स्थायी पता व पद इस प्रकार है –

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	संतोष कुमार मिश्र	श्री त्रिपुरारी मिश्र	ग्रा0 खरैला पो0 सरायपल्टू जि0 आजमगढ	अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य न्यासी)
2	रविन्द्र कुमार मिश्र	श्री गनेश मिश्र	ग्रा0 खरैला पो0 सरायपल्टू जि0 आजमगढ	सदस्य न्यासी (मंत्री)
3	अनिता देवी	श्री संतोष कुमार मिश्र	ग्रा0 खरैला पो0 सरायपल्टू जि0 आजमगढ	सदस्य न्यासी (कोषाध्यक्ष)
4	प्रमोद कुमार मिश्र	श्री त्रिपुरारी मिश्र	ग्रा0 खरैला पो0 सरायपल्टू जि0 आजमगढ	सदस्य
5	आदर्श कुमार मिश्र	श्री संतोष कुमार मिश्र	ग्रा0 खरैला पो0 सरायपल्टू जि0 आजमगढ	सदस्य

5. न्यास मण्डल का गठन (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) –यह कि ट्रस्ट के प्रबन्धन सम्बन्धी (न्यास मण्डल) का गठन 5 सदस्यों (ट्रस्टीज) द्वारा किया जायेगा, जिसमे से एक अध्यक्ष/प्रबंधक (मुख्य न्यासी) होगा। जो अपनें सहयोग हेतु एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष व दो सदस्य को नामित करेंगे। ट्रस्ट (न्यास) के इस बोर्ड का गठन प्रबंधक की उपस्थिति मे उसके विवेकानुसार होगा। इस कार्य मे सभी पदाधिकारी (ट्रस्टीज) प्रबंधक का सहयोग करेंगे तथा प्रबंधक के निर्णय से सहमत रहेंगे। प्रबंधक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । ट्रस्ट के प्रबंधन सम्बन्धी सभी अधिकार प्रबंधक (मुख्य न्यासी), के पास सुरक्षित रहेगा । सभी सदस्य प्रबंधक के अन्तिम निर्णय को मानेंगें।

संतोष कुमार मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 382702

6. बैठकें तथा कोरम – यह कि न्यास मण्डल की सामान्य बैठक साल मे कम से कम दो बार अवश्य होगी । आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक प्रबन्धक द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है । जिसमें ट्रस्ट के संचालन व क्रिया कलापों एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया कलापों व विकास सम्बन्धी लेखाजोखा होगा तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिए जायेंगें। सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) द्वारा किया जायेगा । बोर्ड आफ ट्रस्टीज का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारीयों का 2/3 उपस्थिति के आधार पर पूर्ण माना जायेगा । कोरम के आभाव मे एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचार हेतु बैठक बुलानें पर कोरम की आवश्यकता नही होगी ।

7. सूचना अवधि–यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी। विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

8. सदस्यता या पद की समाप्तिः यह कि ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी।

1.किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।
2.किसी सदस्य के मानसिक अस्वस्थ (पागल) होनें या दिवालिया घोषित किये जाने पर ।
3.ट्रस्ट (न्यास) में हेरा–फेरी व अवैध कार्य करने पर एवं नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर ।
4.स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर या बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
5.किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक, अपराधिक मुकदमें मे दोष सिद्ध किये जाने पर।
6.ट्रस्ट के विरूद्ध अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य करने पर या ट्रस्ट के विरूद्ध षडयन्त्र करनें पर किसी सदस्य को किसी भी समय प्रबन्धक अपने विवेकानुसार निष्कासित कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

उप कोषागार लालगंज

Rs.50

12 NOV 2019

धनराशि रु०.........

उप रोकड़िया के ह०.........

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645642

9. <u>कार्यकाल</u> :– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास मण्डल) का कार्य काल ट्रस्ट स्थापना तिथि से लेकर आजीवन होगा । किन्तु प्रबंधक अपनें विवेकानुसार उसके कार्यो (कार्य कौशल व इमानदारी) या ट्रस्ट विरोधी गतिविधि को देखते हुये किसी भी समय उसे निष्कासित कर सकता है। प्रबन्धक का पद जीवन पर्यन्त चलता रहेगा।

10. <u>ट्रस्टीज (न्यास) सदस्यों के प्रबंध सम्बन्धी अधिकार व कर्तव्य</u> :–

1. ट्रस्ट (न्यास) हित मे शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उप समितियों, उप कमेटियों का गठन एवं संचालन करना और सहयोग करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सामने प्रंस्तुत कर प्रबंधक द्वारा अनुमोदित करवाना ।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति / पदोन्नति/पदच्युति/वेतन वृद्धि/नियमितीकरण या अन्य कार्यवाही में प्रबंधक का सहयोग करना।
4. ट्रस्ट के विकास के लिए चल–अचल सम्पत्ति जुटाना तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं (विद्यालय व कालेजों) के लिए भूमि व भवन के निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था करना व उसकी सुरक्षा करना।
5. स्वयं के भंग होने पर अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर या नये चुनाव तक प्रबन्धक के इच्छानुसार कार्य करना।
6. ट्रस्ट के प्रबन्धन समिति का ट्रस्ट के सम्पत्ति पर पूर्ण नियन्त्रण होगा। जिसमें ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भूमि को खरीदने का, बेचने का अथवा उस पर बिल्डिंग या भवन निर्माण करवाने हेतु अथवा किसी कोष या सम्पत्ति को जुटाने व खर्च करने का प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट की सारी चल–अचल सम्पत्ति भारतीय टैक्स एक्ट–1961 के नियम, अधिनियम के तहत कर मुक्त रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645641

7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीज द्वारा अनुदान प्राप्त करना, ऋण लेना, धन को प्लेज करना अथवा ट्रस्ट के हित में किसी व्यवसाय में या संचालित संस्थाओं के स्थापना व संचालन हेतु प्रबन्धक को ट्रस्ट के धन (सम्पत्ति) का शत–प्रतिशत तक उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. ट्रस्ट के चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्ट के कोष को बढाने के लिए एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं के विकास हेतु और ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है।
9. ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट द्वारा संचलित स्कूलों, कॉलेजों के निर्माण व स्थापना के लिए करना।
10. ट्रस्ट के सदस्य स्थायी नही रहेंगें उनके कार्य को देखते हुए हटायें या कार्यकाल बढायें जा सकतें है। यह प्रबन्धक का विशेषाधिकार होगा।
11. कोई भी ट्रस्टी (न्यास सदस्य) ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कानूनी कार्यवाही नही कर सकता है।
12. रिक्त स्थानों की पूर्ति / उत्तराधिकारी का नियम (घोषणा) –यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास सदस्यों) के मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान या प्रबन्धक द्वारा निष्कासित किये जाने पर रिक्त हुए स्थान की पूर्ति (चयन) प्रबन्धक अपने विवेकानुसार करेगा। उसको कही भी चुनौती नही दी जा सकती है। प्रबन्धक का छोटा पुत्र ही प्रबन्धक के स्थान पर नियुक्त होगा। प्रबन्धक का यह पद वन्शानुगत चलता रहेगा। यदि उत्तराधिकारी को लेकर दोनो पुत्रो मे विवाद होता है तो बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास मण्डल) के तीन सदस्यों के बहुमत के आधार पर जिस योग्य पुत्र को चाहेंगें उसे ट्रस्ट का प्रबन्धक (उत्तराधिकारी) बना सकतें हैं। और यदि प्रबन्धक(मुख्य न्यासी) स्वयं चाहें तो अपने कार्यकाल के दौरान ही जीवित रहते हुए दोनो पुत्रो मे से किसी एक योग्य पुत्र को अपने विवेकानुसार लिखित तौर पर अपना उत्तराधिकारी (प्रबन्धक) बना सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार लालगंज
12 NOV 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645639

प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) का पद उत्तराधिकारी के इस नियम के अनुसार पीढी दर पीढी वन्शानुगत चलता रहेगा।प्रबन्धक के अलावां अन्य किसी दूसरे सदस्य का पद वंशानुगत नही रहेगा। ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य हेतु खरीदी गई भूमि पर प्रबन्धक के सभी पुत्रों का बराबर–बराबर समान अधिकार (हिस्सा) रहेगा।

12. एकाउन्ट्स/ आडिट या आय व्यय का लेखा परीक्षण–यह कि ट्रस्ट (न्यास) की वर्ष भर के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार–

(क) अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) :–

1.यह कि ट्रस्ट के सभी बैठको की अध्यक्षता करेगा। बैठको को बुलाना व सूचना देना तथा बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना। बैठको में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखनें की अनुमति प्रदान करना। बैठको में शान्ति व्यवस्था कायम रखना। प्रबन्धक ट्रस्ट (न्यास) का प्रशासक व व्यवस्थापक होगा।

2.यह कि ट्रस्ट के प्रशासन सम्बन्धी रिकार्ड को अपने पास सुरक्षित रखना व ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना अथवा समयानुसार उसका उपयोग करने का प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा।

3.बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास मण्डल) को भंग करना अथवा कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना प्रबन्धक का दायित्व होगा।

4.समय–समय पर आयोजित बैठकों मे पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अन्तिम रूप देना तथा उन्हे क्रियान्वित करना।

5.वित्तिय एवं प्रशासनिक अधिकार तथा क्षमादान का विशेष अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार लालगंज
12 NOV 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645640

6.बैठको में विघ्न पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठकों से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना अथवा त्यागपत्र स्वीकार करना।

7.ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति व ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं की देखभाल करना एवं सुरक्षा करना तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों/दास्तावेजों अथवा रिकार्डो को अपने पास सुरक्षित रखना।

8.ट्रस्ट के समस्त मूल अभिलेखों/दास्तावेजो को अपने पास सुरक्षित रखना।

9.बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।

10.ट्रस्ट की ओर से समस्त बिल बाउचरों अथवा ट्रस्ट के सभी सरकारी, गैर सरकारी या विभागीय कागजो/दास्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

11.कर्मचारीयों की नियुक्ति, प्रदोन्नति, पदच्युति, वेतन वृध्दि, नियमितीकरण करना।

12.ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना तथा सन्तुष्ट होने पर दोष मुक्त करना अथवा जाँच की अवधि तक निलम्बित करना।

13.ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु सरकार अथवा किसी व्यक्ति, कम्पनी, सोसाइटी द्वारा अनुदान प्राप्त करना व उसका सद्उपयोग करना।

14. यदि किसी कारण वश ट्रस्ट के सदस्यों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर प्रबन्धक द्वारा दिये गये निर्णय सर्वमान्य होगा जिसे कोई सदस्य चुनौती नही दे सकता है। और प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

15.किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना तथा योग्य व्यक्ति को अपना अन्तिम निर्णय देना प्रबन्धक का अधिकार होगा।

16.ट्रस्ट (न्यास) की ओर से सभी कानूनी दास्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, अनुमोदन करना अथवा उसके सापेक्ष कानूनी कार्यवाही करना प्रबन्धक का पूर्ण अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

1 2 NOV 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645638

17.ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं के प्रबन्धन एवं संचालन तथा विकास सम्बन्धी सारे प्रशासनिक कार्यो को करना प्रबन्धक का पूर्ण अधिकार होगा।

18. ट्रस्ट के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना व समस्त सम्पत्तियों एवं धनराशियों का उपयोग करना और उनको सुरक्षित करना। तथा ट्रस्ट के विकास हेतु व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए भूमि क्रय करना एवं उस पर भवन निर्माण करवाना और ट्रस्ट के उद्देश्यो के पूर्ति के लिए समस्त चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग करनें का प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा। और संस्था के अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु भूमि क्रय करना।

(ख) मंत्री :–

1. ट्रस्ट के सदस्यों/पदाधिकारियों को समय–समय पर उचित सलाह देना। और प्रबन्धक का सहयोग करना।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, कालेजों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं की नियमित देख–भाल करना व सुरक्षा करना तथा संस्थाहित में कार्य करना।

3. ट्रस्ट के संरक्षण सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यों को करना मंत्री का उत्तरदयित्व होगा।

4. संस्था के प्रगति हेतु प्रचार–प्रसार करना एवं समस्त ज्ञापनो व विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान कराना।

(ग) कोषाध्यक्ष :–

1. प्रबन्धक के इच्छानुसार आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना या करवाना।

2. प्रबन्धक के सहमति से समस्त कार्य करना।

3. प्रबन्धक के सहमति से धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक मे जमा करना या करवाना।

4. ट्रस्ट (न्यास) हित में सभी प्रकार का कार्य करना तथा प्रबन्धक का सहयोग करना। प्रबन्धक के निर्देशानुसार निर्धारित कार्यो को करना।

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
उप कोषागार लालगंज
Rs.50
12 NOV 2019
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AP 645637

14. ट्रस्ट के संविधान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया भरतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) द्वारा किया जायेगा। तथा अवश्यकतानुसार संशोधित विलेखों का प्रमाणिकरण करा सकेगें परन्तु किसी भी दशा में ट्रस्ट के मूलभूत अभिलेखों मे संशोधन नही होगा।

15. यह कि ट्रस्ट (न्यास) का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफीस मे ट्रस्ट के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा, जिसे प्रबन्धक के एकल हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

16 यह कि ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ट्रस्ट के प्रबन्धक का होगा। अदालत मे दाखिल मुकदमें की पैरवी प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के खर्च पर किया जायेगा । सारे कानूनी कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत किया जायेगा।

17. यह कि ट्रस्ट के अभिलेख जैसे ट्रस्ट डीड, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, बैठक सम्बन्धी रजिस्टर, व कैशबुक, पासबुक व अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को प्रबन्धक अपने पास सुरक्षित रखेगा।

18. यह कि ट्रस्ट के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी अथवा विघटन व विघटित होने की स्थिति में दूसरे ट्रस्ट बनाने या नाम परिवर्तन करने अथवा स्थान परिवर्तन करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम क्रेय की गयी भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग करने तथा विक्रेय करने का पूर्ण अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक का होगा

19. यह कि ट्रस्ट/संस्थान के नियमों, प्रतिबन्धों कार्यकलाप सम्बन्धि विवरण तथा अन्य प्रावधानो के बारे मे शंका उत्पन्न होने पर ट्रस्टी मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

20. यह कि ट्रस्ट के प्रमुख डीड (न्यास विलेख) मे लिखित मानको व शर्तों एवं ट्रस्ट के नियमानुसार यह ट्रस्ट चलता रहेगा। ट्रस्ट के धन (कोष) का निवेश व खर्च ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) द्वारा किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

उप कोषागार लालगंज

12 NOV 2013

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645636

ट्रस्ट के प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) और ट्रस्टीज (सदस्य न्यासी) के बिच यह अनुबन्ध हुआ है कि–

1. प्रबन्धक के कार्यो में सभी सदस्य (ट्रस्टीज) मिल जुलकर सहयोग करेंगे। प्रबन्धक द्वारा बताये गये सभी कार्य को सभी सदस्य पूर्ण करेंगे। तथा प्रबन्धक के बातों को सभी सदस्य मानने के लिए बाध्य होगें ।
2. ट्रस्ट के प्रबन्धक के कार्यो मे जो सदस्य सहयोग नही करेगा अथवा ट्रस्ट हित मे कार्य नही करेगा या ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करेगा तो उसे प्रबन्धक किसी भी समय निष्कासित कर सकता है।
3. प्रबन्धक के उत्तराधिकारी, प्रबन्धक के छोटे पुत्र को ट्रस्ट डीड (न्याय विलेख) मे घोषित किया गया है। इसके विरूद्व यदि कोई सदस्य विरोध करता है तो उसके विरोध को अनुचित, तथ्यहीन, व निरर्थक समझा जायेगा।
4. सभी सदस्य एक मत से प्रबन्धक के साथ रहेंगे। बुरा आचरण करने या विरोध प्रकट करने पर तथा ट्रस्ट विरूद्ध कार्य करने पर उसे किसी भी समय पदच्युति या हटाया जा सकता है।

   यह विनियम ट्रस्ट के डीड (विलेख) मे उल्लिखित नियमों को हम ट्रस्टीज(न्यास सदस्यों) द्वारा पूर्ण शक्ति एवं प्रभाव से पालन किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES

उप कोषागार लालगंज

Rs.50

2 NOV 2018

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 645635

घोषणा–पत्र

अतः माँ विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट के तरफ से मैं संतोष कुमार मिश्र,मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के रूप मे घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास विलेख लिखकर, पढ व समझकर अपनें स्वस्थ मन,चित एवं बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्टडीड (न्यास विलेख) को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि न्यास/ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके। प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

(1) हस्ताक्षर

संतोष कुमार मिश्र

संस्थापक/मुख्य न्यासी (प्रबन्धक)

मसविदाकर्ता अतुल कुमार तिवारी एडवोकेट

स्थान– लालगंज

तह0– लालगंज,आजमगढ।

(2) हस्ताक्षर साक्षीगण

1 रमाकान्त पाण्डेय पुत्र सत्य पाण्डेय
ग्रा०- खरेला पो०- सतय पन्डे
तह०- लालगंज जि०- आजमगढ़
रमाकान्त पाण्डेय

2 अतुल कुमार तिवारी एडवोकेट
लालगंज
आजमगढ़

प्रभुनाथ यादव

टंकणकर्ता : प्रभुनाथ यादव